न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3533–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–08–2014 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील गौहरगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 1110/बी–121/2013–14

.....

1–गुलाबसिंह आत्मज श्री मिश्रीलाल मीणा
2–सज्जनसिंह आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण मीणा
3–शैतानसिंह उर्फ गब्बरसिंह आत्मज श्री सीताराम मीणा
समस्त निवासीगण ग्राम रामखेड़ी तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–ताराचंद आत्मज स्व0श्री हरिनन्दन उपाध्याय
2–श्रीमती लालमति बेवा श्री हरिनन्दन उपाध्याय
कृषक ग्राम रामखेड़ी निवासी ग्राम अमोदा
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0
3–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

– – –

श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/15 को पारित)

आवेदकगण ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम रामखेड़ी स्थित उसकी माता श्रीमती लालमति पत्नी स्व0श्री हरिनन्दन उपाध्याय के नाम अंकित भूमि खसरा नम्बर 35 रकवा 0.14 एकड़ लगान 0.65 पैसे, जिस पर बाड़ा बना है तथा पोल गडाकर तारफैंसिंग की गई थी, उसे तोडकर आवेदकगण द्वारा अवैध आधिपत्य कर उक्त भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, अतः उक्त भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रोका जाये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1110/बी–121/13–14 दर्ज कर कार्यवाही करते हुये राजस्व निरीक्षक से मौका व स्थल निरीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । जॉच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम रामखेडी स्थित नोईयत आबादी भूमि पर एक टीनशेड व 25 फीट लम्बी दीवार बनाकर दो कमरे पक्के बनाये गये है तथा आबादी भूमि पर स्थित अनावेदक की पैतृक मकान की भूमि पर आवेदक द्वारा अतिकमण किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 19–8–2014 को स्थगन आदेश जारी कर आवेदक द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई । तहसील न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19–8–14 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि उक्त भूमि पर आवेदकगण दस पीढी से निवास कर रहे है । तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 19–8–14 को स्थगन आदेश जारी कर आवेदकगण द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया है जबकि स्थगन आदेश दिनांक 2–8–14 को जारी किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा बगैर किसी ठोस आधार पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज करते हुये अवैधानिक रूप से स्थगन आदेश जारी कर आवेदकगण के पैतृक मकान पर पुनः निर्माण किये जा रहे निर्माणाधीन कार्य को रोके जाने का स्थगन आदेश पारित किया है वह बोलता हुआ न्यायिक आदेश न होकर मात्र प्रकिया विहीन प्रशासनिक आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर विधिवत् प्रकिया अपनाकर तहसील न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रोका गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम रामखेड़ी स्थित उसकी भूमि अनावेदिका कमांक 2 श्रीमती लालमति के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है और उसके द्वारा अपनी भूमि पर पोल गाढ़कर तारफैंसिंग की गई थी, जिसे आवेदकगण द्वारा तोड़कर निर्माण कार्य कर अवैध कब्जा कर रहे है, अतः निर्माण कार्य रोका जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–6–14 को प्रकरण दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन मॉगा गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–8–14 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये निर्माण कार्य पर तत्कालिक रोक लगाने संबंधी स्थगन जारी किया गया है जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि तहसीलदार द्वारा अवैध रूप से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, उक्त तर्क आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये क्योंकि तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही प्रचलित है और वहॉ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही लंबित करने की दृष्टि से यह निगरानी की गई है, जो कि उचित नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर